

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

कमांक 31 अ/82 वर्ष 2017-18 मौजा घाटपिपरिया ⁹¹²³ बैतूल दिनांक 4-8-2018

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा हे.	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	घाटपिपरिया	4.325	घाटपिपरिया लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	1026/2	0.615	0.615	महादेव, शिवशंकर, बबलू वल्द फगना बसोड़ सा. मोरखा
2	991	1.501	1.501	हिरू पंजाब रामसिंह वल्द हिरदेराम देवली बेवा हिरदेराम, महेरा सा. देह
	992	0.405	0.405	
योग	2	1.906	1.906	
3	993/2	0.283	0.283	लखमू दखन, चैत्या वल्द नंदन महेरा सा. देह
	998	0.214	0.214	
	1016	1.024	0.619	
योग	3	1.521	1.116	
4	1001/3	0.930	0.081	सुखचैन, शिवराम, दिनकर वल्द रामु, भागवंती, सुखबती, शिवबती, शांती पिता रामु महेरा सा. देह
5	954	2.529	0.607	संतोष सतिष वल्द सुखलाल प्रेमवती मीरा पिता सुखलाल सुरेश मनोज वल्द नत्थू लता बेवा नत्थू मेहरा सा. देह
महायोग		7.501	4.325	

(2)- चूंकि घाटपिपरिया लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3)- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,



(शशांक मिश्र) 9/18

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग



प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केंद्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम घाटपिपरिया ग्राम पंचायत घाटपिपरिया तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।


 कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
 मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) जिला बैतूल (म.प्र.)

क्रमांक 21 अ-82/16-17 भू-अर्जन/दुनाई/9249 बैतूल दिनांक 7/08/2018

ईशतहार

म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म.प्र.) द्वारा काठी लघु जलाशय के लिए भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम काठी .प.ह.न. तहसील आमला जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नबरों की भूमि आपसी सहमति के आधार पर कय करने के प्रस्ताव पेश किए गए हैं:-

स.क.	खसरा नं.	रकबा हे. में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
1	2	3	4	5
1	231/2	0.210	0.210	पंजाबराव व. राधेलाल जाति भोयर पता सा. देह भू-स्वामी
	232/2	0.093	0.093	
2	243/6	0.323	0.150	कचरा बेवा सुंदरलाल बाबूलाल साहबलाल दयाल लयराम व. सुन्दरलाल सूनिता कमला पिता सुन्दरलाल केकई बेवा दयाराम वली मा केकई रोगनी ना.बा. पिता दयाराम वली मा केकई पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
3	232/1	0.093	0.093	रुखमा बाई जौ. श्यामराव जाति पंवार पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
	233	0.393	0.393	
	234	0.162	0.162	
4	241	0.615	0.615	बाया बे. हिराजी नान्ही नन्हिया पिता हिराजी मनोज उमेश व. बाबुलाल ममता पिता बाबुलाल नान्ही बेवा बाबुलाल संरेश सुरेन्द्र मोनू रमेश व. ओझा वलीमां देवकी लता पिता ओझा वाजी मा. देवकी जुगनी देवकी बेवा ओझा जाति पंवार पता निवासी सा. देह भू-स्वामी
	242	1.141	1.141	
5	545/2	0.234	0.234	मनोहर व. घुड़िया पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
6	254/1	0.930	0.150	रेवजी व. लहया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

स.क.	खसरा नं.	रकबा हे. में	आवेदक विभाग द्वारा कय किया जाने वाला रकबा हे. में	धारक का नाम
7	254/2	2.133	1.320	मोहनलाल मदनलाल इमरत व. रेवजी पता सा. देह भूमि स्वामी
8	237/3	0.639	0.050	शिव शंकर व. दशरया पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
कुल योग		6.966	4.611	उत्तर

अतएव आवेदक विभाग द्वारा ग्राम काठी तहसील की उपरोक्तानुसार खसरा नंबरों की कुल 4.611 हे. भूमि आपसी कय नीति के अन्तर्गत कय करने के सम्बन्ध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 7.8.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।



(शशांक मिश्र)
कलेक्टर
जिला बतूल (म.प्र.)

[Handwritten signature]

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रदेश स्तर दैनिक एवं स्थानीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार आमला की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत काठी तहसील आमला जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर,
बैतूल